प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दिये जाने पर कट़ौत्री के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त नीट यू०जी० काउंसिलिंग सत्र 2020-21

प्रथम चरण की प्रवेशित सीट से अभ्यर्थी द्वारा काउंसिलिंग हेतु प्रदर्शित समय सारणी में उल्लेखित विनिर्दिष्ट समय सीमा में त्याग पत्र दिये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा कराये गये प्रवेश शुल्क में निम्नानुसार कटौत्री कर शेष राशि अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय दर्ज कराये गये बैंक खाते में लौटाई जायेगी।

- 1) सामान्य अभ्यर्थी के लिये प्रवेश शुल्क की 10 प्रतिशत राशि (अधिकतम रू० 10 हजार) ।
- 2) एन०आर०आई० अभ्यर्थी के लिये अधिकतम रू० 25 हजार ।

REGARDING DEDUCTION FROM TUITION FEE IN CASE OF RESIGNATION FROM ADMITTED SEAT

An admitted candidate from first round counselling if resigns within stipulated time limit as mentioned in published time schedule will be refunded fee in the registered bank account number endorsed at the time of registration after deduction as given below: -

- 1) For general candidates 10% of the tuition fee (maximum Rs. 10 Thousand)
- 2) For NRI candidates maximum Rs. 25 Thousand)

Director Medical Education Madhya Pradesh

20/11/202v